UPHR010067512019

न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, (14 वां वित्त आयोग) हरदोई।

सत्र परीक्षण संख्या –355/2019

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सचिन सिंह आदि

अपराध संख्या–252/2019

धारा– 308/34, 323/34, 324/34, 504 भा०दं०सं०

थाना– साण्डी, जिला– हरदोई।

दिनांक–14.10.2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

1. पत्रावली पेश हुयी। वाद पुकारा गया। अभियुक्त कमल कुमार सिंह न्यायालय उपस्थित आया है तथा अभियुक्त सुचेन्द्र जरिये विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त अभियोग में साक्षी डाक्टर मनोज देशमणि द्वारा मजरूब का मेडिकल परीक्षण किया गया था। विवेचक द्वारा अभियोजन साक्षी की सूची में डाक्टर मनोज देशमणि का नाम अंकित नहीं किया है, न्यायहित में साक्षी को तलब करके परीक्षित कराना न्यायोचित है। अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त अभियोग में डाक्टर मनोज देशमणि को साक्ष्य हेतु तलब करने की कृपा करें।

2. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

3. **348– आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति–** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण वा अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साध्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उत्तकी पुनः परीक्षा करेगा।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा अभियोजन साक्षी की सूची में डाक्टर मनोज देशमणि का नाम अंकित नहीं किया है। सूची गवाहान में **डाक्टर मनोज देशमणि** का नाम सहवन अंकित होने से छूट गया है।

5. प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि उभयपक्ष को सुनवायी का समान अवसर प्रदान कर मामले का न्याय–निर्णयन व गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार** किये जाने योग्य है।

आदेश

6. **विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **दिनांकित 14.10.2024, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार** किया जाता है। चिकित्सक साक्षी डाक्टर मनोज देशमणि वास्ते जरिये समन दिनांक 08.11.2024 को तलब हो।

दिनांक–14.10.2024

(यशपाल)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(14 वीं वित्त आयोग), हरदोई।

Digitally signed by Yashpal
Date: 2024.10.15 10:36:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court